न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 50 / 19 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. लक्ष्मी देवी पत्नि सुखलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. चान्दी पत्नि चान्दु खां पिनारा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मन्दरूप पिता देवा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राधेश्याम पिता शंकरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 12.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 233 में अंकित आराजी स. 2001 रकबा 1.08 हैक्ट. कुल किता 1 कुल रकबा 1.08 हैक्ट. स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी नकल मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थीया की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से जिससे प्रार्थीया की कृषि आराजियात में विपक्षीगण आये दिन दखलअंदाजी करते रहते है। जिससे प्रार्थीया को अपने आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने, मवेशी चराने व घास काटने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। जिससे प्रार्थीया की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हो गया है । प्रार्थीया द्वारा कई बार विपक्षीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां परन्तु विपक्षीगण आये दिन आज कल में कराने की बात कहे कर हर बार टालमबाजी का जवाब देते आ रहे है। प्रार्थीया द्वारा अन्तिम बार दिनांक 28.02.2019 को विपक्षीगण को उनकी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2019 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 26.03.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 एवं 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध प्रार्थीया के अधिवक्ता कोई कार्यवाही चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से

अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 233 में अंकित आराजी स. 2001 रकबा 1.08 हैक्ट. कुल किता 1 कुल रकबा 1.08 हैक्ट. स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/- अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा